

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

शोभालाल बनाम मेखली लाल

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 250/2022

2022/297

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
27/05/22	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>शोभालाल</u> s/o <u>हजारीलाल जी जार</u>, अलोल पत्नी <u>हजारीलाल जी जार</u>, चाँदी-पहलाद-पुल्वा-मंगीलाल-राधा पिता श्री <u>हजारीलाल जी जार</u>, लेहरी w/o <u>मेधा जी</u>, शकलाल-सत्यनाथजी पिता <u>मेधा जी जार</u> निवासी- <u>केलजर</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>केलजर</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>13, 15, 17, 8</u></p> <p>कुल कीता <u>4</u> कुल रकबा <u>2.9700</u> है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>केलजर</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>13, 15, 17, 8</u></p> <p>कुल कीता <u>4</u> रकबा <u>2.9700</u> है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>500/-</u> रुपये अक्षर <u>पांच सौ रुपए</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p>

(श्याम सुन्दर विरनेई)
 सहायक कलेक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी
 चित्तौड़गढ़ (राज.)